न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्या: 382/2019

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भैरू
2. बंशीलाल पुत्र भैरू
   जाति कुमावत, निवासी: बडीवालों की ढाणी, मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. गणपत पुत्र भैरू जाति कुमावत, निवासी: बडीवालों की ढाणी, मण्डाभीमसिंह, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 08.05.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 49/2017 उनवान जगदीश बनाम गणपत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:

मुकेश वर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
एस.एस. मेहरडा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

निर्णय दिनांक: 09/9/21

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 08.05.2018 वाद पत्र संख्या 49/2017 बउनवानी जगदीश बनाम गणपत के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 1450/198 रकबा 30 बीघा ग्राम मंढा, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर में स्थित है। आराजीयात को वादीगण के पिता भैरू व उनके भाईयो रामूराम, हनुमान तीनों भाईयों ने अपनी संयुक्त हिन्दू परिवार की स्वअर्जित आय से अपने बडे पुत्रों के नाम से खरीद की थी जिसमें भैरू ने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 गणपत के नाम से तथा रामूराम ने अपने पुत्र गिरधारी के नाम से तथा हनुमान ने अपने बडी पुत्री कालूराम के नाम से खरीद की थी जिसमे कालूराम की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नि सोनी देवी के नाम उसका हिस्सा दर्ज हुआ था। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता भैरू पुत्र घीसा आज भी संयुक्त परिवार में रहते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बडा पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

होने के नाते संयुक्त परिवार की आय से वाद में वर्णित आराजी में 1/3 हिस्सा भैरू पुत्र घीसा ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खरीद किया था जिसके कारण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज की गई परन्तु उक्त 1/3 हिस्से में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज है एवं संयुक्त रूप से भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा आश्वासन देता रहा कि तुम्हारा कब्जा काश्त तो इस जमीन में 1/9, 1/9 हिस्से में चला आ रहा है जब कभी भी समय मिलेगा तुम्हारा नाम उपरोक्त आराजीयात में लगवा देगे जिसके कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के विश्वास में चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विश्वास में चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपने कृत्य व व्यवहार से वादीगण का कब्जा स्वीकार करता आ रहा है। जमीनों की बाजार दर बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितूर आ गया है और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जो बडा कर्ताखानदान पुत्र संतान होने से वादीगण के पिता भैरू ने संयुक्त परिवार की आय से खरीदे गये वाद में वर्णित आराजीयात 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी उक्त जमीन को अब प्रतिवादी संख्या 1 अकेला ही काबिज होकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि संपूर्ण का बेचान करने पर आमादा है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आया और जमीन बताकर सौदा करते हुये बातचीत करने लगा तो वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने से मना किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को धमकी दी कि वह संपूर्ण आराजीयात का बेचान कर वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा इसलिये यह वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये अंत में यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 बाबत घोषणा खातेदारी इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि आराजीयात खसरा नंबर 1450/198 रकबा 30 बीघा वाके ग्राम मंढा भीमसिंह तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज 1/3 हिस्से में वादीगण का 1/9, 1/9 हिस्सा है अर्थात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को उनके 1/9, 1/9 हिस्से से बेदखल नहीं करे, ना ही कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत न करे, ना ही उक्त भूमि के किसी भाग को रहन, बैय, मुन्तकिल, बेचान इत्यादि ही करे। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 08.05.2018 के माध्यम से विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद किये जाने के कारण विवादग्रस्त आराजीयात पैतृक न होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

[redacted] अपील प्राधिकारी
जयपुर

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। रेस्पोडेन्ट्स के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अभिभाषक अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि वाद में अंकित आराजीयात वादीगण के पिता भैरू व उसके भाईयों रामूराम, हनुमान तीनों ने अपनी संयुक्त परिवार की स्वअर्जित आय से अपने बडे पुत्रों के नाम से खरीद की थी जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व उसके पिता भैरू आज भी संयुक्त परिवार में रहते है। चूंकि प्रश्नगत आराजी बडे पुत्र गणपत के नाम से 1/3 हिस्सा क्रय की गई थी इस वजह से प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकॉर्ड में उसी के नाम दर्ज रही जबकि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त रूप से काबिज है एवम् संयुक्त रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण/अपीलान्ट्स ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त आराजी पर वादीगण के हक अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया था जिसे गलत तौर पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में लगाकर बिना किसी साक्ष्य सबूत के खारिज कर दिया गया जबकि लोक अदालत की भावना के अनुसार लोक अदालत के माध्यम् से मात्र पक्षकारों की सहमति से ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के दौरान् आर.आर.डी. 1974 पेज 625 उद्रित करते हुए बहस में निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल ने भी इस तथ्य को माना है कि हिन्दू परिवारों में कई बार राजस्व अभिलेखों में परिवार के बडे सदस्य का नाम अंकित होता है किन्तु मात्र इस आधार पर परिवार के छोटे सदस्यों का सम्बन्धित आराजीयात के सन्दर्भ में अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया जाकर मात्र रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड होने से वादी का वाद सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया जबकि ऐसे वाद का निस्तारण सम्पूर्ण साक्ष्य सबूत लिये जाने के पश्चात् साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अभिभाषक अपीलार्थी ने इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र राजीनामा की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए पुनः बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य राजीनामा भी हो गया है जिसमें वाद के मद नंबर 10 में वर्णित अनुतोष के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने में अनापत्ति दर्ज करवाई है। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2019 को रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है। अतः अपील को राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जावे। प्रकरण में सुनवाई के दौरान् रेस्पोडेन्ट का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुए। अपील की प्रस्तुतिकरण पर गौर किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जिस हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में प्रकरण को लोक अदालत में लेकर उसी तारीख को निर्णित कर दिया गया, उस समय विधानसभा एवम् लोकसभा के चुनाव में राजस्व कर्मचारियों के व्यस्त रहने के कारण वादी/अपीलान्ट्स को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में देरी जानबूझकर नहीं की गई है इस कारण अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। इसके अतिरिक्त अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी (राजस्थान) जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलार्थी ने मियाद के संबंध में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार सरसरी तौर पर वाद का निस्तारण किया है वह निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है एवम् ऐसे निर्णय को चुनौती दिये जाने की कोई मियाद नहीं होती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 खारिज किया जावे।

4. वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2018 को आदेशिका पर जो आदेश दर्ज किया गया है उसमें अंकित किया गया है कि " निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया "। अधिनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृथक से लिखाया गया निर्णय उपलब्ध नहीं है जिससे इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रेषित की जाकर इस तथ्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय की अपील पत्रावली पर पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब अपील से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि पक्षकारान् के मध्य कुछ सहमति वाद के सन्दर्भ में बनी है, चूंकि इस न्यायालय के समक्ष न तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत निर्णय उपलब्ध है एवम् न ही रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित हुए है। अतः यह उचित समझा जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा एवम् इकबालिया जवाब अपील अधिनस्थ न्यायालय को तत्संम्वत् पक्षकारान् की उपस्थिति में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। यहां यह भी अंकित किया जाना उचित समझा जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका पर पारित निर्णय एक नॉन स्पीकिंग आदेश है जो प्रारंम्भ से ही शून्य है एवम् जिस पर मियाद लागू नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 खारिज किया जाना विधिसंगत प्रतीत होता है।

5. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2018 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान् के मध्य यदि वाद में कोई सहमति नहीं बनती है तो वाद का गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण करें। राजीनामा एवम् इकबालिया जवाब अपील की फोटोप्रति मूल अपील में संलग्न रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09/9/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर